

—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला – अजमेर :-

पीठासीन अधिकारी :- अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 79/2022

उनवान

मंगला उर्फ मंगलाराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी ग्राम तिहारी, नसीराबाद
- वादी :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
— प्रतिवादी :- जरियें राज० पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 88, 188 राज० काश्त० अधि० 1955 व धारा 136 भू रा० अधि०
1956

—: निर्णय :-

दिनांक :- 4.5.22

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी की निम्न
आराजी वादी की खातेदारी काश्तकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
4557	1-1-0	3423	0.20
		3424	0.20
		3425	0.07
		3350	0.07
		3351	0.07
4558	0-18-0	3367	0.15
4559	0-18-10	3366	0.15
4611	8-0-0	3266	0.10
		3269	0.18
		3270	0.20
		3271	0.20
		3272	0.26
		3274	0.14
		3275	0.21
4651	5-1-0	3425	0.20
		3424	0.20
		3423	0.20
4661	5-1-0	3425	0.20



3
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)



		3424	0.20
		3423	0.20
4661	1-17-0	3417	0.15
		3418	0.15
		2907	0.15
4788	5-5-10	2908	0.34
		2909	0.36
		2904	0.37
4789	5-14-0	2905	0.34
		2906	0.22
		5050	0.09
2795	0-11-0	5054	0.11
2797	0-14-0	5047	0.13
2799	0-16-0	5046	0.11
2800	0-14-0	5045	0.15
2805	0-19-0	408	1.61
2104	10-11-0	409	0.39
2105	2-8-0	3301	0.40
4549	1-10-0	3299/6657	0.17
		5039	0.20
2803	1-11-0	5042	0.02
		5043	0.03
		6435	0.38
4169	2-7-0	6436	0.40
4170	2-9-0	3885	0.10
4171	1-1-0	3886	0.07
		3887	0.10
4172	2-3-0	3888	0.15
		3888	0.10
		3883	0.18
		3884	0.10
4174	1-2-0	3342	0.10
4537	0-9-0	3341	0.08
4538	0-9-0	3339	0.04
4540	2-1-10	3353	0.17
		3346	0.20
		3340	0.04
		3338	0.05
4541	0-7-0	3297	0.09
4550	0-12-10	3350	0.10
		3298	0.01
		3349	0.09
4551	0-6-0	3338	0.05
		3347	0.14
4552	0-17-0	3348	0.14
4553	0-17-0	3353	0.17
4554	0-16-10		



3
उपखण्ड अधिकारी
नसीरावाद (अजमेर)

4555	0-11-0	3352	0.12
4556	0-12-0	3352	0.12
		3358	0.04
		3359	0.06

आराजी मुतनाजा राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम खातेदारी दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से मंगला पुत्र हरचन्द के स्थान पर मंगलाराम व मंगलचन्द राजस्व रेकार्ड में अंकन कर दिया है। जबकि वादी का सही नाम मंगला है। अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, वॉकिंग जमाबंदी, पंचायत प्रमाण पत्र आदि में वादी का सही नाम मंगला उर्फ मंगलाराम ही अंकित है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी का सही नाम अंकित किया जावे। एवं प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरण संख्या 398/01.12.2004 द्वारा मृतक हरचन्द की विरासत से प्रार्थी का नाम मंगलाराम दर्ज हुआ है। अतः वाद चलने योग्य नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट भी तलब की गयी।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया वादी अपना नाम दुरुस्ती करवाने का अधिकारी है ?

-- वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व अन्य दस्तावेज पेश किये एवं बयान दर्ज नहीं करवाये।

राज0 पैरोकार ने कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किये। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि वादी का सही नाम मंगला है इसकी पुष्टि हेतु वादी द्वारा आधार कार्ड भी पेश किया गया। तथा वादी का नाम आराजी मुतनाजा में मंगला करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-
तनकी संख्या 1 :-

आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम मंगलचन्द, मंगलाराम, मंगलाराम अंकित है। पूर्व राजस्व अभिलेख में भी उक्त आराजी पर वादी का नाम मंगलचन्द व मंगलाराम ही अंकित था। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, व बैंक पास बुक में वादी का नाम मंगला पुत्र हरचन्द ही अंकित है। उक्त त्रुटी वादी के पिता की विरासत दर्ज करते समय हुयी है। वादी द्वारा उक्त त्रुटी दुरुस्त करने हेतु यह वाद पेश किया है। वादी का नाम दुरुस्त करने से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी स्वयं का नाम मंगला पुत्र हरचन्द करवाने का अधिकारी है। प्रकरण में खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज भी नहीं है। तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम तिहारी के खाता संख्या 561/522 किता 2 रकबा 2.00, 494/429 किता 5 रकबा 0.59, 466/151 किता 49 रकबा 7.69 (जमाबंदी स0 2069-72) की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी का नाम मंगला पुत्र हरचन्द अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

3
उपखण्ड अधिकारी
उपरखाह अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)



डिक्री व मुकदमें इत्दाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मंगला बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 79/2022

पेश करने की दिनांक - 13.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम तिहारी के खाता संख्या 561/522 किता 2 रकबा 2.00, 494/429 किता 5 रकबा 0.59, 466/151 किता 49 रकबा 7.69 (जमाबंदी स0 2069-72) की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी का नाम मंगला पुत्र हरचन्द अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।



3
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक _____ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

वअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 4 माह 5 सन् 2023 को जारी की गयी।

मुददई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

3
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद